कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923
Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 2553 / वा.वि. / न.पा.नि. / 2024   रायगढ़, दिनांक 11/11/ /2024

–: ई–प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ वित्तीय वर्ष 2024–25 में वाहन एवं विद्युत विभाग के विभिन्न कार्य हेतु कलेक्टर दर पर **94 प्लेसमेंट कर्मचारी** {उच्च कुशल श्रमिक – 06(जेसीबी चालक), कुशल श्रमिक – 64(आटो चालक, ट्रेक्टर चालक, डम्पर चालक, वेल्डर, पंचर मिस्त्री, वैक्यूम ऑपरेटर एवं चालक– वोलेरो,वैन, इलेक्ट्रीशियन आदि) अकुशल श्रमिक – 24(क्लीनर, श्रमिक)} प्रदाय कार्य, जिसकी अनु. लागत राशि **1,50,46,749.00/-** रु., अमानत राशि **1,13,000.00/-** रू. निविदा प्रपत्र शुल्क **3000.00/-** रू., कम्पनी / फर्म / एजेंसी / महिला स्व–सहायता समूह / एनजीओ / ठेकेदार से निविदा प्रपत्र "अ" में अपना दर प्रतिशत दर पर प्रस्तुत करें। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. ..161132... ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in से देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 24.12.2024 अपरान्ह 04:30 बजे तक स्पीडपोस्ट / पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

नोट :– *नियम एवं शर्ते संलग्न कर वेबसाईट www. nagarnigamraigarh.com/ uad.cg.gov.in एवं https://eproc.cgstate.govt.in पर अपलोड है।
*कार्य का अन्य विवरण एवं नियम शर्ते कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र 2553 / वा. वि. / न.पा.नि. / 2024   रायगढ़, दिनांक 11.11.2024

प्रतिलिपि :–

1. मान. महापौर / सभापति / प्रभारी वाहन / विद्युत सदस्य (MIC) नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

—: ई—प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :—

नगर पालिक निगम, रायगढ़ वित्तीय वर्ष 2024—25 में वाहन एवं विद्युत विभाग के विभिन्न कार्य हेतु कलेक्टर दर पर **94 प्लेसमेंट कर्मचारी** {उच्च कुशल श्रमिक – 06(जेसीबी चालक), कुशल श्रमिक – 64(आटो चालक, ट्रेक्टर चालक, डम्पर चालक, वेल्डर, पंचर मिस्त्री, वैक्यूम ऑपरेटर एवं चालक— वोलेरो,वैन, इलेक्ट्रीशियन आदि) अकुशल श्रमिक – 24(क्लीनर, श्रमिक)} प्रदाय कार्य, जिसकी अनु. लागत राशि **1,50,46,749.00/-** रु., अमानत राशि **1,13,000.00/-** रू. निविदा प्रपत्र शुल्क **3000.00/-** रू., कम्पनी/फर्म/एजेंसी/महिला स्व—सहायता समूह/एनजीओ/ठेकेदार से निविदा प्रपत्र "अ" में अपना दर प्रतिशत दर पर प्रस्तुत करें। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. 161132........ ई—प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in से देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 04-12-2024 अपरान्ह 04:30 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

"निविदा की नियम एवं शर्तें"

1. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति को स्केन कर ई—प्रोक्यूरमेण्ट की वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा EMD व शपथ पत्र की मूलप्रति कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा –
   - (A) कम्पनी/फर्म/एजेंसी/ठेकेदारी/महिला स्व—सहायता समूह/एनजीओ का छ.ग. राज्य में स्थित किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
   - (B) वित्तीय वर्ष 2022—23 का आयकर विवरणी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   - (C) वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।
   - (D) यदि फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड प्रमाण—पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
   - (E) बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र, कुल कार्य की लागत का 15% अथवा अधिक, जिसकी वैधता निविदा खुलने की तिथि तक हो।
   - (F) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, छत्तीसगढ़ कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस में कराकर प्रस्तुत करने का शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जावे।
   - (G) समान प्रकृति के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
   - (H) कम्पनी/फर्म/एजेंसी/महिला स्व—सहायता समूह/एनजीओ/ठेकेदार का (जिसके नाम में आवेदन पत्र दिया जा रहा हो उसी के नाम पर) पैनकार्ड का छायाप्रति।
   - (I) राशि रु. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारुप (Annexure-13) में शपथ पत्र।
   - (J) धरोहर राशि FDR/TDR की प्रति (जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष होनी चाहिए)।

   उपरोक्त कंडिका क्र. (A) से (H) तक सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्व—प्रमाणित/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एंव क्र. (I) एवं (J) की मूल प्रति निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा नहीं खोली जावेगी।

2. अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक द्वारा जारी FDR/TDR/MSDC आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ एवं संबंधित फर्म के संयुक्त नाम एवं जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में ही मान्य होगी। बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य मानी जावेगी।
3. निविदाकार द्वारा जमा की गई "बैंक सॉलवेंसी" की राशि में से जिन कार्यो के लिए निविदा प्रस्तुत किया गया है, उन कार्यो की अनुमानित लागत का 15% घटाया जावेगा। अर्थात बैंक सॉल्वेंसी में उल्लेखित राशि के आधार पर ही निविदा खोली जावेगी।
4. कम्पनी/फर्म/एजेंसी/महिला स्व—सहायता समूह/एनजीओ/ठेकेदार का कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए अथवा निविदा दर स्वीकृति बाद 01 माह के अन्दर अनिवार्य रुप से पंजीयन कराकर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात करने हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पश्चात् पुनः निविदा कार्यवाही किया जा सकता है।
5. दो या दो से अधिक समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता होगी :—
   - (अ) महिला स्व—सहायता समूह को प्राथमिकता।
   - (ब) स्व ऐच्छिक संगठन अथवा N.G.O को द्वितीय प्राथमिकता।
   - (स) सहकारी समिति को क्रमशः तृतीय क्रम की वरीयता दी जायेगी।

6. ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु निविदा दर समस्त करों, हितलाभ, अधिक शेष वेतन,EPF एवं ESIC/समूह बीमा की राशि आदि को जोड़कर एक मुश्त दर प्रतिशत आधार पर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत दर के अलावा अन्य किसी भी हितलाभ का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।

7. जिन ठेकेदारों/फर्मो द्वारा पूर्व में श्रमिकों के EPF नियमित रुप से जमा नहीं किया गया है एवं विसंगतियां पाई गई है, वे निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

8. निष्ठा एप्लीकेशन में उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। EPF, ESIC आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा चालान हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा RTGS/EPF चालान की मूल रसिद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा निकाय को प्रस्तुत करने पर एवं निगम द्वारा सत्यापन उपरांत प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

9. ठेकेदार को कार्यालय से नियोक्ता प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर श्रम विभाग, जिला– रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी श्रमिक रखने संबंधी लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रमिक रखने संबंधी लाइसेंस 30 के भीतर नहीं करने की स्थिति में बिना किसी अन्य सूचना के निविदा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निरस्त की जाकर अमानत राशि राजसात किया जा सकेगा।

10. निविदाकार को छ.ग. श्रम अधिनियम एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में उल्लेखित प्रवधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 कर अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. ठेकेदार को सभी प्रदाय श्रमिकों की बीमा एवं श्रम विभाग में पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा। श्रमिकों के किए गय बीमा की छायाप्रति कार्यालय में अनवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का बीमा नहीं कराए जाने पर ठेकेदार को लाभ की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

12. ठेकेदार द्वारा प्रदाय श्रमिक यदि लापरवाही कार्य के संचालन अथवा अन्य सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना/क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

13. ठेकेदार/एजेंसी को निकाय निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर अथवा शासन से अनुदान प्राप्त होने पर ही देयक भुगतान किया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा 03 माह तक होगी, परन्तु ठेकेदार द्वारा श्रमिको को प्रति माह भुगतान करना अनिवार्य होगा। अतः सलाह दी जाती है कि वित्तीय रुप से सक्षम कम्पनी/फर्म/एजेंसी / ठेकेदार भाग ले जो 03 माह तक श्रमिकों को भुगतान एवं अंशदान की राशि को भुगतान करने में सक्षम हो। इस शर्त हेतु महिला स्व–सहायता समूह एवं एनजीओ को आंशिक रुप से छूट प्रदान करते हुए अधिकतम समय–सीमा को 01 माह किया जावेगा।

14. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रुप से किया जाना होगा।

15. ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि में कार्य नहीं छोड़ सकेगा, यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ा जाता है, तो ठेकेदार के "रिस्क एण्ड कास्ट" में पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा जमा सुरक्षा निधि/अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

16. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त समयावधि के लिए विभाग द्वारा निविदा को बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी, इसके अतिरिक्त समय के लिए समय वृध्दि ठेकेदार की सहमति नई निविदा होने तक की जा सकेगी।

17. राज्य शासन/केन्द्र सरकार एवं श्रम विभाग द्वारा समय –समय पर पारित आदेश स्वतः लागू रहेंगे।

18. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध बिना किसी क्षतिपूर्ति के समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिए कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

19. ठेकेदार द्वारा वाहन एवं विद्युत विभाग में प्रदाय किये गये प्रति श्रमिक को सुरक्षा सामग्री/कार्य हेतु एप्रान/वर्दी – 01 जोड़ी, दस्ताना–01 जोड़ी, गमबूट–01 जोड़ी, रेन कोट – 01 नग एवं अन्य कार्य की प्रकृति अनुसार सुरक्षा सामग्री प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यादेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा सामग्रियाँ प्रदाय नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार के देयक के लाभ की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं कार्यालय द्वारा सामग्री प्रदाय किए जाने पर ठेकेदार के लाभ की राशि से सामग्रियों के मूल्य के बराबर की राशि की कटौती समायोजित की जावेगी। जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। कार्यादेश जारी होते ही उपरोक्त सामग्री ठेकेदार/फर्म स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगा। 03 माह बाद प्रति श्रमिक 1000.00/- रु. व 09 माह बाद दोबारा रु. 1000.00/- देय होगा।

20. शासकीय/अशासकीय/न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति पारित आदेश का दायित्व ठेकेदार का होगा।
21. श्रमिकों की उपस्थिति दिन में 02 बार अर्थात् कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् ली जावेगी। प्रातः उपस्थिति दर्ज करने के बाद कार्य स्थल से अनुपस्थित श्रमिकों की उपस्थिति सायं काल में नहीं लिया जावेगा तथा उन्हें कार्य से पृथक भी किया जा सकता है।
22. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों से कार्य कराये जाने की जिम्मेदारी नगर निगम के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।
23. उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों का निर्धारण शासन द्वारा स्वीकृत पदों के आधार पर किया जावेगा। योग्यता के विपरीत नियुक्त श्रेणी में कार्य करने पर उच्च श्रेणी के भुगतान की पात्रता नहीं होगी। मूलतः अकुशल श्रमिक ही रखे जाना प्रस्तावित है।
24. ठेकेदार द्वारा प्रदाय श्रमिकों की आयु किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए व ना ही 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
25. वर्तमान में कार्यरत् श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर रखना होगा।
26. श्रमिकों को प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे अथवा आवश्यकता अनुसार निर्देशित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 08 घण्टे एक साथ एक ही पाली में अथवा जैसा उन्हें निर्देशित किया जाये, कार्य करना होगा।
27. ठेकेदार को जिला कलेक्टर/श्रम पदाधिकरी, रायगढ़ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत प्रचलित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करना बंधनकारी होगा।
28. देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
29. इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य श्रम योग्य कार्यो हेतु प्रशिक्षित श्रमिकों को प्राथमिकता दिया जावेगा। कार्य करते समय सुरक्षा उपकरण का उपयोग अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में समस्त जवाबदेयी ठेकेदार की होगी।
30. इलेक्ट्रीशियन हेतु डिप्लोमा/आई.टी.आई. एवं तारमिस्त्री प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
31. श्रमिकों के लिए मूल कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्य समकक्ष कार्य सौंपने पर दायित्व का निर्वहन किया जाना होगा।
32. जिन कार्यो हेतु लगातार कर्मचारी रखने की आवश्यकता है वहाँ नये कर्मचारी आने पर पुराने कर्मचारी को अवकाश दिया जावेगा।
33. किसी भी स्थिति में ठेकेदार द्वारा बिना सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना दिये किसी भी श्रमिक को कार्य से पृथक नहीं किया जावेगा।
34. कार्य की आवश्यकता तक ही श्रमिक/व्यक्ति रखे जावेंगे। श्रमिकों का निकाय से कार्य में रखने संबंधी प्रत्यक्ष नहीं होगा।
35. श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कार्यो का सत्यापन पर्यवेक्षक अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। श्रमिकों की उपस्थिति कार्य स्थल पर ली जावेगी। श्रमिकों की उपस्थिति, सामानों की उपलब्धता एवं कार्य की गुणवत्ता पर टीप लिखी जावेगी। जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।
36. ठेकेदार द्वारा प्रदाय समस्त श्रमिकों का समूह बीमा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा अप्रिय घटना होने की स्थिति में समस्त श्रमिकों जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
37. चौकीदारों/कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण देना अनिवार्य होगा।
38. ठेकेदार को सभी प्रदाय श्रमिकों का फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी कराकर प्रदाय करना होगा, जिसमें कर्मचारी का नाम एवं पदनाम, मोबा.नं., पूर्ण स्थायी पता लिखा होना चाहिए।
39. आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
40. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
41. निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता को होगा एवं इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
42. यदि ठेका अनुबंध के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो इसका निपटारा निगम के अपीलीय समिति के द्वारा किया जायेगा तथा इसका क्षेत्राधिकारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संपूर्ण सीमा होगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)